न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 29/2020

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. चिरंजीलाल
2. ठाकुर प्रसाद
3. केशव

पिसरान रामनाथ जाति रैगर निवासी बिशनपुरा तहसील दौसा जिला दौसा।

.. अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सैथल। ...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय उप तहसीलदार सैथल दिनांक 15.06.2020 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम ठाकुर प्रसाद मु0नं0 11/2020 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1. श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री चंद्र शेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय — दिनांक: 23.02.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि उपतहसीलदार सैंथल ने दिनाक 15.06.2020 को ग्राम बिशनपुरा तहसील दौसा के सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 775 रकबा 0.02 है0 व खसरा नं0 1041 रकबा 0.02 है0 पर पुख्ता दीवार व पत्थर डालकर अतिचार करने पर अपीलांट्स को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली व पेनल्टी का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि पटवारी हल्का बिशनपुरा ने अपीलांट्स के खिलाफ झूठी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलांट्स ने सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 775 रकबा 0.02 है0 व खसरा नं0 1041 रकबा 0.02 है0 पर पत्थर बाउण्ड्री बनाकर अतिचार किया है। जिस पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना व पटवारी हल्का से जिरह का मौका दिये बिना आदेश पारित किया गया है। उक्त भूमि पर अपीलांट्स के आवास बाडे अपीलांट्स के बुजुर्गो के समय 50 वर्ष से भी अधिक समय से बने हुए है। राजस्थान सरकार के सर्कुलर अनुसार अपीलांट्स उक्त भूमि का पट्टा प्राप्त करने के अधिकारी है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर किये बिना निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट

धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट्स को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट्स को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। जिसमे अपीलाट केशव एवं ठाकुर प्रसाद अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुए हैं। इसलिए अपीलांट्स का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट्स का अतिक्रमण सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट्स द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट्स द्वारा पटवारी हल्का की झूँठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट्स को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट केशव एवं ठाकुर प्रसाद अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुये। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का यह कथन उचित नही है कि उसको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नही दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में सिवायचक भूमि पर पुख्ता बाउण्ड्री एवं पत्थर डालकर अतिक्रमण करना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट्स द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सैंथल जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.06.2020 के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official